निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 539/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र श्री बनवारी लाल
   पता–94, संस्कृत विद्यालय के पास, वार्ड नम्बर 20, ढाणी राकडिया की, तहसील शाहपुरा ।
2. श्रीमती बरजी देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश
   पता–77, संस्कृत विद्यालय के पास, वार्ड नम्बर 20, ढाणी राकडिया की, तहसील शाहपुरा
3. सुभाष चन्द सैनी पुत्र श्री सीताराम
   पता– 98, संस्कृत विद्यालय के पास, वार्ड नम्बर 20, ढाणी राकडिया की, तहसील शाहपुरा
4. बोदू पुत्र श्री कालूराम
   पता–1101, खारिया बढ, खेजरोली, तहसील चौमू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) • जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1.श्री अनिल गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 18.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.12.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र श्री बनवारी द्वारा श्रीमती बरजी देवी के पक्ष में उपहार पत्र कर खसरा नम्बर 4081 रकबा 0.31 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/5, भाग ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को बन्धक रख कर 7,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को क्रम संख्या 13 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 7,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र श्री बनवारी के स्वामित्व की कृषि भूमि बरजी देवी को उपहार कर खसरा नम्बर 4061 रकबा 0.31 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/5, ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की कृषि भूमि प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। सिक्योरिटाईजेशन की धारा 31 इस प्रकार है– Section-31- Provisions of this Act not to apply in certain cases- (I) any security interest created in agricultural land. चूंकि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत धारा 14 सरफेसी एक्ट के प्रार्थना पत्र मे बन्धक भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। इसलिए सरफेसी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाना प्रतिबन्ध होने से प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/1/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर